

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला – बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-989 / 2011

संस्थित दिनांक-26.12.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// **विरुद्ध** //

फूलबासनबाई पति स्वर्गीय बरकत बघेल, उम्र-59 वर्ष,

जाति-कतिया, साकिन रमगढी, थाना बिरसा,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक- 12/06/2014 को घोषित)

1— आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 506 (भाग-2) के तहत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक-09.12.2011 को शाम के करीब 7:30 बजे ग्राम रमगढी थाना व तहसील बैहर जिला बालाघाट अन्तर्गत लोक स्थान या उसके समीप फरियादी/आहत कांतीबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को भोभी कारित किया एवं फरियादी/आहत कांतीबाई को हाथ-मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी/आहत को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक- 09.12.2011 को समय शाम करीब 7:30 बजे ग्राम रमगढी थाना व तहसील बैहर जिला बालाघाट अन्तर्गत प्रार्थियां कांतीबाई हेण्डपम्प से पानी लेकर आ रही थी, जब वह आरोपी के घर के सामने पहुंची तो आरोपी ने फरियादी/आहत को अश्लील शब्द उच्चारित करने लगी और पकड़कर जमीन पर गिरा दिया एवं हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगी तथा प्रार्थियां जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थिया ने थाना बिरसा में की, जिस पर थाना बिरसा की पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 104/11 एवं धारा 294, 323, 506, भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की, आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लिये

गये एवं आरोपी को गिरफ्तार कर तथा आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 506 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 506(भाग—दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया गया होना प्रकट किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक—09.12.2011 को शाम के करीब 7:30 बजे ग्राम रमगढी थाना व तहसील बैहर जिला बालाघाट अन्तर्गत लोक स्थान या उसके समीप फरियादी/आहत कांतीबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी/आहत कांतीबाई को हाथ—मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी/आहत को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 व 3 का सकारण निष्कर्ष :-**

5— फरियादी/आहत कांतीबाई (अ.सा.01) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को जानती है वह उसके ही गांव में रहती है। घटना उसके कथन से पिछले वर्ष पूस माह के सुबह 8:00 बजे की है। वह जब पानी लेकर अपने घर जा रही थी तो आरोपी के घर के सामने पहुंचने पर आरोपी ने उसे डमफान(बारामासी) लाकर दे दो बोली तो उसने कहा कि उसने अपने खेत से काटी हूं तो आरोपी ने पानी उतारने के बाद उसे सीने और दांये हाथ में मुंह से चाबी थी और हाथ मुक्कों से मारपीट की। उसके द्वारा चिल्लाने पर उसके छोटे बच्चे आये थे। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना बिरसा में की थी जो प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उसने अंगुठा निशानी लगायी थी। उसका चिकित्सीय परीक्षण बिरसा अस्पताल और घर पर भी हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 बनाया था, जिस पर उसने अंगुठा निशानी लगायी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय उन दोनों की झूमाझपटी हुई थी। साक्षी के कथन का उसके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया

गया है। इस प्रकार साक्षी ने उसकी रिपोर्ट एवं पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

6— फरियादी का पति साक्षी नरेश (अ.सा.03) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह प्रार्थिया कांतीबाई को जानता है वह उसकी पत्नि है। वह आरोपी फूलबासनबाई को भी जानता है। घटना उसके कथन के एक वर्ष पूर्व सुबह 8:00—9:00 बजे आरोपी के घर के सामने की है, उसकी पत्नि पानी लाने गई थी तब आरोपी ने छिनाल, रौंड कहते हुए उसके खेत की बारामासी क्यों काट दी कह रही थी। उसकी पत्नि को आरोपी ने लकड़ी एवं हाथ—मुक्कों से मारपीट की थी और दाँत से हाथ एवं सीने में काट दी थी। घटना के संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। साक्षी का आगे यह भी कथन है कि आरोपी कह रही थी कि वह एस.सी.समाज की है उसे मारपीट करोगे तो पैसे मिलेंगे झूठी रिपोर्ट कर दूंगी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने घटना में बीचबचाव नहीं किया था। साक्षी ने आगे स्पष्ट रूप से कहा है कि वह घटना के समय उपस्थित था। साक्षी के पुलिस कथन प्रदर्श डी-1 में यह उल्लेखित है कि उक्त मारपीट के पश्चात् फरियादी ने भी आरोपी को हाथ झापड़ से मारा था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिसमें महत्वपूर्ण विरोधाभास होना प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार साक्षी के द्वारा चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में किया गया है।

7— अभियोजन साक्षी पार्वतीबाई (अ.सा.02) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि वह आरोपी को जानती है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसे बाद में पता चला था कि दोनों का झगड़ा हुआ था। पुलिस ने घटना के बारे में उससे पूछताछ की थी। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है तथा अपने पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है।

8— अभियोजन साक्षी/डॉक्टर हेमा बिसेन (अ.सा.05) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—09/12/2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को थाना बिरसा की आरक्षक छाया गौतम कमांक—1087 द्वारा आहत कांतीबाई पति नरेश को परीक्षण हेतु लाया गया था। उसके द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें उसने आहत को एक खरोंच दाहिने हाथ की कोहनी व कलाई पर, एक कंटुजन बाह्य स्तन के उपरी बाहरी भाग पर तथा एक हल्की सी खरोंच ओठ के बांये साईड पर पायी थी। साक्षी ने अपने अभिमत में यह संभावना व्यक्त की है कि

आहत को आयी चोट खुरदुरी, कडी व बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती है तथा सभी चोटे साधारण प्रकृति की थी। उसकी उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने समर्थन कारी साक्ष्य के रूप में घटना के समय आहत/फरियादी कांतीबाई को साधारण उपहति कारित होने का समर्थन किया है।

9— अनुसंधानकर्ता रामकिशोर मात्रे (अ.सा.04) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-09/12/2011 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-104/2011, धारा 294, 323, 506 भा.द.वि. की डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उसके द्वारा उक्त दिनांक को प्रार्थिया की निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में प्रार्थिया कांतीबाई का मुलाहिजा करवाया गया था, जो प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थिया कांतीबाई, साक्षी नरेश कुमार, साक्षी पार्वतीबाई एवं दिनांक-11/12/2011 को साक्षी विदेश के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। दिनांक-11/12/2011 को साक्षियों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस कथन से अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रदर्श पी-2 घटना स्थल पर जाकर तैयार नहीं किया गया तथा कांतीबाई, नरेश, पार्वतीबाई, विदेश के कथन अपने मन से लेख किया है। साक्षी ने मामले में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

10— मामले में स्वयं फरियादी कांतीबाई (अ.सा.01) ने आरोपी के द्वारा उक्त घटना के समय मारपीट करने अलावा कथित गाली-गलौच करने व अश्लील शब्दों का उच्चारण किये जाने के संबंध में एवं जान से मारने की धमकी के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। फरियादी के पति नरेश (अ.सा.03) ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय आरोपी के द्वारा अश्लील शब्दों को उच्चारण किये जाने के कथन किये हैं, किन्तु कथित गाली उसे व दूसरों को सुनने में बुरी लगने के कथन नहीं किये हैं। इसके अलावा उक्त तथ्य के संबंध में अन्य किसी साक्षी के द्वारा भी अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया गया है। इस प्रकार आरोपी के द्वारा घटना के समय कथित रूप से अश्लील शब्दों का उच्चारण क्षोभ कारित करने व फरियादी को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किये जाने के तथ्य को अभियोजन के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।

11— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में फरियादी कांतीबाई व एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी नरेश ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। उक्त साक्षीगण के



कथन का बचाव पक्ष की ओर से उनके प्रतिपरीक्षण में खण्डन नहीं किया गया है। उक्त साक्षीगण ने अभियोजन मामले के अनुरूप साक्ष्य पेश की है। फरियादी को आई साधारण चोट के संबंध में चिकित्सीय साक्षी के अभिमत से भी पुष्टि होती है कि घटना के समय उसे मारपीट में साधारण उपहति कारित हुई थी। आरोपी के द्वारा आहत को मारपीट किये जाने के संबंध में आरोपी ने आहत को जानते हुए मारपीट की गई थी कि उससे आहत को निश्चित ही चोट कारित होगी तथा आरोपी उक्त कृत्य के कारण आहत को उपहति कारित होने की सम्भावना को जानती थी। अतएव आरोपी के द्वारा किया गया उक्त कृत्य स्वेच्छया उपहति कारित करने की श्रेणी में आता है।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि कथित घटना के समय आरोपी ने लोकस्थान में अश्लील शब्दों का उच्चारण कर फरियादी व अन्य को क्षोभ कारित किया तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अभियोजन ने युक्तियुक्त सन्देह से परे यह प्रमाणित किया है कि आरोपी ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत कांतीबाई को स्वेच्छया उपहति कारित की। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506 (भाग-2) के अन्तर्गत दोषमुक्त कर शेष धारा 323 के अन्तर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

13— आरोपी के द्वारा किये गये अपराध को देखते हुए उसे अपराधी परीवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

14— आरोपी की ओर से यह निवेदन किया गया कि मामले में वर्ष 2011 से उसके द्वारा विचारण का सामना किया जा रहा है, जिसमें वह नियमित रूप से उपस्थिति होती रही है। आरोपी के द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुए उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

15— आरोपी के विरुद्ध यह मामला लगभग तीन वर्ष से लम्बित है। आरोपी के द्वारा फरियादी से वाद-विवाद एवं झूमाझपटी के दौरान अपराध कारित किया गया है, जिसमें फरियादी पर भी प्रथम से दाण्डिक मामला पेश किया गया है। आहत को उक्त मारपीट में मामूली चोट कारित हुई थी। मामले में अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत राशि 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

16— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

17— आरोपी मामले में न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रही है, इसके संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट